

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/पे-मैनेजर / 14073-112
कोषाधिकारी
समस्त।

दिनांक 26/3/2019

विषय:- शहीद सैनिकों हेतु सहायता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग सचिवालय के पत्रांक प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य. / 2004 पार्ट-I दिनांक 27.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि पुलवामा में आंतकी हमले में शहीद सैनिकों की सहातार्थ मुख्यमंत्री कोष में राशि जमा कराने हेतु राज्य में लोक लेखों में निम्नांकित बजट मद उपलब्ध है :—

8448—स्थानीय निधियों की जमा

120—अन्य निधियाँ

(07)—राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष

[01]—शहीद सैनिकों की सहायतार्थ

शहीद सैनिकों की सहायतार्थ दी जाने वाली राशि उपयुक्त बजट मद में चालान के माध्यम से जमा कराई जा सकती है।

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने वेतन से कटौती करवाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने हेतु अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का अनुरोध किए जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त परियोजन हेतु वेतन से कटौती की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र संलग्न किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानांतरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

राज्य

(अमिता शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

दिनांक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/पे-मैनेजर /

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (बजट) विभाग के संदर्भित पत्र के अनुसार बजट मद 8448-120-07-01—शहीद सैनिकों की सहायतार्थ में वेतन बिल से राशि कटौती किए जाने का प्रावधान करवाकर अवगत कराने का श्रम करावें।

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.३(१)वित्त-१(१)आ.व्य./२००४ पार्ट ।

दिनांक : २७, फरवरी, २०१९

समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)

विषय:- शहीद सैनिकों हेतु सहायता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद सैनिकों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने हेतु राज्य के लोक लेखों में निम्नांकित बजट मद उपलब्ध है:-

8448—राजनीय निधियों की जमा

120—अन्य निधियाँ

(07)—राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष

[01]—शहीद सैनिकों की सहायतार्थ

शहीद सैनिकों की सहायतार्थ दी जाने वाली राशि उपर्युक्त बजट मद में चालान के माध्यम से जमा कराई जा सकती है।

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने वेतन से कटौति करवाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने हेतु अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का अनुरोध किये जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौति विवरण पत्र सलांग किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी।

भवदीया,


(अरुण अग्रवाल)

शासन सचिव, वित्त (बजट)


(क.प.उ.)

क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2004 पार्ट ।

दिनांक : 27 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक /लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपसचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।


निदेशक, वित्त (बजट)